

संदर्भ:AAI/BHUJ/2024/Commercial/Parking/

दिनांक: 01.10.2024

To,

M/s. S.S. Multi Services
Office No. 710, ZION,
Plot No. 273, Sector-10,
Kharghar, Maharashtra-410210

M/s. एसएस मल्टी सर्विसेज
कार्यालय क्रमांक 710, सिय्योन,
प्लॉट नंबर 273, सेक्टर-10,
खारघर, महाराष्ट्र-410210

विषय:- “License for Vehicle Parking Management, Collection of Parking Fees Rights for short term basis at Bhuj Airport”

महोदय,

आपके निविदा भागीदारी के संदर्भ में, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के सक्षम अधिकारी, मेसर्स एसएस मल्टी सर्विसेज को भुज हवाई अड्डे पर short term basis के आधार पर Vehicle Parking Management, Collection of Parking Fees Rights के लिए अनुबंध प्रदान करने में प्रसन्न है, जो नीचे दी गई NIT में उल्लिखित सभी औपचारिकताओं के पूरा होने के बाद 06 महीने की अवधि के लिए है:

With reference to your tender participation, the competent authority of Airports Authority of India, is pleased to award the contract for **Award of Concession Vehicle Parking Management, Collection of Parking Fees Rights for short term basis at Bhuj Airport** to M/s. SS Multi Services for a period of **06 months** after completion of all formalities mentioned in the NIT as given below:

- लाइसेंसधारी लाइसेंस की अवधि के लिए authority को नीचे उल्लिखित दर के अनुसार प्रति माह एक निश्चित गारंटीकृत राशि का भुगतान करेगा:

The Licensee shall pay to the Authority for the period of License, a fixed guaranteed amount per month as per the rate mentioned below:

QUOTED LICENCE FEE: ₹ 58,888.00 + 18 %GST

- यदि आवश्यक हो तो एजेंसी से office space किराये पर रखने के लिए ₹ 1330.00 प्रति वर्गमीटर प्रति माह और 10% उपयोगिता शुल्क लिया जाएगा।

Agency will be charged for office space as ₹ 1330.00 per sqm per month and 10% utility charges on space rent, if required.

- लाइसेंसधारी को GST और अन्य वैधानिक करों का भुगतान करना होगा, जैसा कि भारत सरकार/अन्य सरकारी संगठनों द्वारा समय-समय पर तय किया जाए।

The licensee will have to pay GST and other statutory taxes as applicable and as decided by the Government of India/other Government Organizations from time to time.

4. Business Incubation Period, लेटर ऑफ अवार्ड (LOA) जारी होने की तारीख से 10 दिनों की होगी। Bidder को LOA में निर्दिष्ट सभी औपचारिकताओं/शर्तों को पूरा करना होगा।
Business Incubation Period will be of **10 days** from the date of issuance of Letter of Award (LOA). The bidder will be under obligation to complete all the formalities/ conditions of award as will be specified in the LOA.
5. Gestation period अधिकतम 15 दिन की होती है, जो business incubation period की समाप्ति की तारीख या LOA की 16 वीं तारीख, जो भी पहले हो, से शुरू होती है।
Gestation period of **15 days**, starting from the date of expiry of business incubation period or 16th date of LOA whichever is earlier.
6. वाहन पार्किंग सुविधा LOA जारी होने के 25 दिनों के भीतर शुरू हो जाएगी (business incubation period के 10 दिन और gestation period के 15 दिन)।
Vehicle parking facility shall start within 25 days. (10 days of business incubation period and 15 days of gestation period) of days of issuance of LOA.
7. सुविधा शुरू होने से पहले सुविधा के Handing over/taking over के प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे। (जिसका प्रपत्र संलग्न है)।
Handing over/taking over of the facility should be signed before commencement of facility. (Performa enclosed).
8. निम्नलिखित में से किसी भी शर्त का पालन न करने पर EMD जब्त कर ली जाएगी और आपको AAI की निविदा में आगे भाग लेने से 3 वर्ष की अवधि के लिए वंचित किया जा सकता है:-
The EMD shall be forfeited and you may be debarred from further participation in AAI's tender for a Period of Three years on account of non-compliance with any of the following:-
 - i. Award Letter की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर प्रस्ताव की स्वीकृति।
Acceptance of the offer within 7 days of the receipt of award letter
 - ii. अवार्ड पत्र के 15 दिनों के भीतर 1 माह के लिए अग्रिम लाइसेंस शुल्क का भुगतान जमा करें ($58,888.00 + 10600.00$ (GST @ 18%) = $69,488/-$)
Deposit payment of advance License Fee for one month ($₹ 58,888.00 + ₹ 10600.00$ (GST @ 18%) = **₹69,488/-**) within 15 days of award letter
 - iii. 3 महीने के License Fee के बराबर Security Deposit ($58,888/- \times 4 = 2,35,552/-$) बैंक गारंटी के रूप में Nationalized / Scheduled Bank की "भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण" के पक्ष में award letter प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर जमा करना।

Deposit of Security Deposit equivalent to 03 months License Fee i.e. (₹58,888/- x 4 = ₹ **2,35,552/-**) in the form of Bank Guarantee of Nationalized / Scheduled Bank in favor of "Airports Authority of India" within 15 days of the award letter.

- iv. अनुबंध शुरू होने से पहले अनुबंध का निष्पादन करना, अन्यथा अनुबंध LOA के 26 वें दिन से शुरू माना जाएगा। अनुबंध को 100/- रुपये के non-judicial स्टैम्प पेपर पर निष्पादित किया जाना है।

Execution of the agreement before commencement of the contract, else the Contract is deemed to be started from 26th day of LOA. The agreement should be executed on non-judicial stamp paper of Rs. 100/- .

9. लाइसेंसधारी को water और electricity के उपयोग के संबंध में ₹17,666 /- security deposit का भुगतान करना होगा।

The Licensee shall pay security deposit equal to ₹17,666 /- w.r.t. water and electricity usage.

10. लाइसेंसधारी को स्वयं को सभी आवश्यक परमिट , लाइसेंस और अन्य अनुमतियों से सुसज्जित करना होगा, जो कि संबंधित लाइसेंसधारी के प्रचालन के संबंध में किसी भी समय लागू कानून के अंतर्गत आवश्यक हो।

The Licensee shall equip himself with all necessary permits, licensee and such other permissions as may be required under the law in force at any time with regard to the operation of the subject licensee.

11. लाइसेंसधारी को उक्त परिसर में लाइसेंसधारी द्वारा की गई बिक्री के संबंध में सहायक दस्तावेजों के साथ-साथ नियमित और उचित खाता बही बनाए रखना होगा और उक्त खातों/दस्तावेजों को प्राधिकरण द्वारा निरीक्षण के लिए हमेशा खुला रखना होगा , जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है। यदि प्राधिकरण द्वारा ऐसा अपेक्षित हो तो लाइसेंसधारी को प्राधिकरण को लेखापरीक्षित खातों का विवरण ऐसे तरीके से और ऐसी अवधि के भीतर उपलब्ध कराना होगा , जैसा कि प्राधिकरण निर्धारित कर सकता है। लाइसेंसधारी को एएआई के साथ लाइव चालान विवरण साझा करने के लिए उत्तरदायी होना होगा।

That the Licensee shall maintain such regular and proper account books along with supporting documents regarding sales affected by the Licensee in the said premises and said accounts / documents shall all the times be kept open for inspection by Authority in such manner as may be prescribed. The Licensee shall provide to the Authority, if so required by the Authority, Statements of audited Accounts in such manner and within such period as the Authority may prescribe. Licensee shall be liable to share invoicing details live with AAI.

12. जब भी प्राधिकरण हवाईअड्डा परिसर में , जहां लाइसेंसधारी ऐसी सेवाएं प्रदान कर रहा है , समान सुविधा के लिए अतिरिक्त लाइसेंस देने का निर्णय लेता है , तो लाइसेंसधारी को आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

That the Licensee shall have no right to object as and when the Authority decides to grant additional licensee for similar Facility at the airport premises where the Licensee is rendering such services.

13. प्राधिकरण विषयगत सेवाओं के लिए खाली स्थान उपलब्ध कराएगा तथा सेवाओं की स्थापना और प्रदान करने के लिए किसी भी प्रकार का अन्य व्यय लाइसेंसधारी द्वारा वहन किया जाएगा। हालांकि, सेवाओं के सुचारु संचालन के लिए, यदि आवश्यक हो तो, बिजली, पानी और जल निकासी कनेक्शन का प्रावधान प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया जाएगा।

That Authority shall provide bare space for the subject services and other expenses of any kind for establishment and rendering of the services shall be incurred by the Licensee. However, provisions of electricity, water and drainage connections, as the case may be, if so required, for the smooth operation of the services shall be provided by the Authority.

14. लाइसेंस अनुबंध की अवधि के दौरान, लाइसेंसधारी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह लाइसेंस प्राप्त परिसर में संग्रहीत या उपयोग की जाने वाली सभी movable और immovable संपत्तियों के संबंध में चोरी और संधमारी सहित उचित fire insurance coverage प्राप्त करे और प्राधिकरण किसी भी कारण से लाइसेंसधारी को हुई किसी भी हानि या क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

All the times during the currency of the license agreement, it shall be the responsibility of the licensee to obtain proper fire insurance coverage including theft and burglary in respect of all the movable and immovable assets stored or used in the licensed premises and authority shall not be responsible for any loss or damage caused to the licensee on any accounts whatsoever.

15. लाइसेंसधारी प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से स्वीकृत दर पर उपयोगकर्ताओं से शुल्क लेकर विषय सुविधा संचालित करेगा। (NIT के अनुलग्नक-4 के अनुसार)। लाइसेंसधारी परिसर के अंदर एक प्रमुख स्थान पर उक्त स्वीकृत शुल्क प्रदर्शित करेगा। लाइसेंसधारी चार्जिंग उद्देश्य के लिए ईवी चार्जिंग ज़ोन में पार्क किए गए वाहनों के लिए पार्किंग शुल्क नहीं लेगा।

That Licensee shall operate the subject facility by charging the rate from users, **as approved in advance by the Authority.** (As per Annexure-4 of NIT). Licensee shall exhibit the said approved charges at a conspicuous place inside the licensed premises. Licensee shall not charge parking fees for vehicles parked in the EV Charging Zone for charging purpose.

16. प्राधिकरण किसी भी समय परिसर का स्थान बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है और अपने विवेक से लाइसेंसधारी को साइट खाली करने के लिए कह सकता है और उसे इस लाइसेंस के उद्देश्य के लिए एक वैकल्पिक परिसर दे सकता है। ऐसे मामले में, लाइसेंसधारी को तुरंत परिसर खाली करना होगा और उक्त वैकल्पिक परिसर को स्वीकार करना होगा। इस तरह के स्थानांतरण पर होने वाला पूरा खर्च उसके द्वारा वहन किया जाएगा और लाइसेंसधारी उस आधार पर लाइसेंस शुल्क में किसी भी मुआवजे या संशोधन का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

That the authority reserves to itself the right to change the location of the premises at any time and may at its discretion to call upon the Licensee to vacate the site and may give him an alternative premise for the purpose of this license. In such a case, the Licensee shall be bound to vacate the premises immediately and accept the said alternate premises. The entire expenditure on such shifting shall be borne by him and the licensee shall not be entitled to claim any compensation or revision in the license fee on that score.

17. लाइसेंसधारी परिसर का उपयोग अनुबंध में दिए गए वास्तविक उद्देश्य के लिए करेगा , जैसा कि विशेष रूप से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, हवाई अड्डे पर आने वाले सभी यात्रियों और वास्तविक आगंतुकों तथा प्राधिकरण के अधिकारियों और हवाई अड्डे का उपयोग करने वाली विभिन्न एयरलाइनों के कर्मचारियों के उपयोग के लिए, तथा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं।

The Licensee shall use the premises for the bonafide purpose as provided in the Agreement, more particularly described in the enclosed schedule, for the use of all passengers and bonafide visitors to the Airport and Officers of the Authority and the staff of various Airlines using the Airport and for no other purpose.

18. लाइसेंसधारी प्राधिकरण की लिखित पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना कोई विज्ञापन या साइनबोर्ड नहीं लगाएगा या प्रदर्शित नहीं करेगा।

The Licensee shall not erect or display any advertisement or signboards except after obtaining the prior approval in writing of the Authority.

19. लाइसेंसधारक लाइसेंस अवधि की समाप्ति से पहले साठ (60) दिन का लिखित नोटिस दिए बिना लाइसेंस को समाप्त नहीं करेगा , अन्यथा लाइसेंसधारक प्राधिकरण को (बिना किसी आपत्ति या प्रश्न के) उतनी धनराशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा , जितनी प्राधिकरण लाइसेंसधारक द्वारा देय राशि के रूप में तय करेगा। लाइसेंस को प्राधिकरण द्वारा बिना कोई कारण बताए साठ (60) दिन का लिखित नोटिस देकर या असंतोषजनक प्रदर्शन के कारण अल्प सूचना पर समाप्त किया जा सकता है। निकास खंड लाइसेंस समझौते के अनुसार होगा।

The Licensee shall not terminate the licensee before the expiry of the period of the licensee except by giving sixty (60) days notice in writing, otherwise the Licensee shall be liable to pay the Authority (without any demur or question) such amount of money as the Authority may decide as due to it by the Licensee. The license can be terminated by the Authority by giving sixty (60) days notice in writing without assigning any reason thereto or on a short notice on account of unsatisfactory performance. Exit clause shall be as per license agreement.

20. Admission / Entry Ticket सुविधा लाइसेंस के लिए आवास का उपयोग करना तथा एएआई या उसके प्रतिनिधि की संतुष्टि के लिए परिसर को साफ और सुव्यवस्थित स्थिति में रखना।

To use the accommodation for the Admission / Entry Ticket facility License and keep the premises in a clean and tidy condition to the satisfaction of AAI or its representative

21. लाइसेंसधारक अपने स्थायी कर्मचारियों को नियुक्त करेगा और समय-समय पर लागू कानून के तहत आवश्यक सभी परमिट प्राप्त करेगा। आप अपने द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के लिए वेतन और , E.S.I., P.F., ग्रेच्युटी, बोनस आदि के लाभों के भुगतान के संबंध में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्रावधानों का भी पालन करेंगे और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इस संबंध में किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होगा। एजेंसी द्वारा सभी कर्मचारियों को फोटो पहचान पत्र जारी किया जाना चाहिए। साथ ही , अनुबंध शुरू होने के 15 दिनों के भीतर सभी कर्मचारियों के लिए पुलिस सत्यापन प्रस्तुत करना होगा।

The licensee shall deploy his permanent employees and obtain all necessary permits as required under law in force, from time to time. You will also observe and comply with the provisions of Minimum Wages Act regarding payment of wages and benefits of E.S.I., P.F., Gratuity, Bonus, etc. for the employees engaged by you and the Airports Authority of India shall not be liable in this regard in any manner. Photo Identification Card should be issued to all employees by the agency. Also, Police verification need to be submitted for all the staff within 15 days of start of contract.

22. एजेंसी को अनुलग्नक-6 के अनुसार न्यूनतम स्टाफ तैनात करना होगा।

Agency has to deploy the minimum staff as per Annexure-6.

23. उपरोक्त सभी बातें अनुबंध के निविदा दस्तावेज़ के साथ समझौते का हिस्सा होंगी।

All the above will form part of the agreement along with the tender document of contract.

24. आपसे अनुरोध है कि निर्धारित समयावधि के भीतर औपचारिकताएं पूरी करें।

You are requested to complete the formalities within stipulated period of time.

25. कृपया पत्र की प्राप्ति की सूचना दी जाए।

Receipt of the letter may please be acknowledged.

(नवीन कुमार सागर)
विमानपत्तन निदेशक,
भुज एयरपोर्ट

प्रतिलिपि:

1. संयुक्त महाप्रबंधक (वाणिज्य), भा.वि.प्रा., पक्षे, मुंबई
2. वित्त विभाग, भुज हवाई अड्डा